

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

अपील संख्या – 1082/2013/उदयपुर

पार्थ एंटरप्राइजेज, उदयपुर

.....अपीलार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वृत्त-सी, उदयपुर।

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री अमर सिंह – सदस्य

उपस्थित : :

श्री एम.एस.इंवर,
अभिभाषक

.....अपीलार्थीगण की ओर से.

श्री अनिल पोखरणा,
उपराजकीय अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 17/01/2014

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अतिरिक्त आयुक्त, अपीलीय प्राधिकारी वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या 03/वैट/2012-13 में पारित किये गये निर्णय दिनांक 01.03.2013 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी मार्बल ब्लॉक से मार्बल स्लैब व टाईल्स का निर्माणकर्ता है। वह स्वयं के माल के अलावा अन्य पंजीकृत व्यवहारियों के मार्बल ब्लॉक की चिराई/जॉब वर्क करता है। तथा वर्ष 2009-10 के कर निर्धारण करते समय वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-सी, उदयपुर (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा अपने आदेश दिनांक 13.02.2012 से अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा Consumables व Spare parts (Capital goods) की खरीद पर राजस्थान राज्य में चुकाये गये कर पर आगत कर का मुजरा चाहा गया था उसको आनुपातिक आधार पर कम कर स्वयं के उत्पादन पर आई.टी.सी. स्वीकृत किया गया तथा जॉब वर्क करने में उपयोग में लाये गये Consumables व Capital goods पर अस्वीकार किया गया। वर्षभर में चाहे गये कुल आगत कर रूपये 4,558/- में से रूपये 22,000/- अस्वीकार किया गया है। उक्त आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश की गयी। जिस पर अपीलीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 01.03.2013 से अपील को अस्वीकार कर दिया। इस आदेश के विरुद्ध यह अपील पेश की गयी है।
3. उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।




लगातार.....2

4. अपीलार्थी की ओर से अधिकृत प्रतिनिधि ने कथन किया कि अपीलार्थी एक निर्माणकर्ता है। उसके द्वारा स्वयं के माल का निर्माण करने के साथ-साथ अन्य पंजीकृत व्यवहारियों के माल का भी जॉब वर्क पर किया जाता है जिसे अन्य निर्माणकर्ताओं द्वारा विक्रय किया जाता है। अतः उसे निर्माण प्रक्रिया के द्वारा उपयोग में लाये गये Consumables एवं Spareparts of Capital goods पर पूर्ण आगत कर का लाभ दिया जाना चाहिये था। परन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा स्वयं के कच्चे माल से निर्मित माल पर आनुपातिक आधार पर आई.टी.सी. दे दिया परन्तु अन्य व्यवहारियों के कच्चे माल से निर्मित माल पर आई.टी.सी. अस्वीकार कर दिया जो कि अविधिक है उसे पूर्ण खरीद पर आई.टी.सी. देने चाहिये। अपीलीय अधिकारी ने भी उसे यथावत रखने में भूल की है। अधिकृत प्रतिनिधि ने निर्णय (1978) 41 STC page 409 and (1981) 48 STC page 239 का हवाला देकर अपने आपको निर्माता बताया है। अतः सम्पूर्ण खरीद पर आई.टी.सी. देने हेतु निवेदन किया।

5. विभाग की ओर से विद्वान उपराजकीय अभिभाषक श्री अनिल पोखरणा ने अपने जवाबी बहस में कथन किया कि अपीलार्थी निर्माणकर्ता है। तथा जो माल उसके द्वारा स्वयं के कच्चे माल से निर्माण किया है उसमें प्रयुक्त Consumables एवं Spare parts पर आई.टी.सी. नियमानुसार दिया है परन्तु जो माल Consumables एवं Spare parts जॉब वर्क में प्रयुक्त किये गये हैं उस पर आई.टी.सी. देय नहीं है क्योंकि यह जॉब वर्क निर्माता है और ना ही इसकी बिक्री उसके स्वयं के द्वारा की गयी है। अतः नियमानुसार Pro Rata आधार पर आई.टी.सी. अस्वीकार किया गया है, जो पूर्णतया उचित है अतः कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के निर्णय को बहाल रखने का निवेदन किया।

6. दोनों पक्षों की बहस सुनी गई एवं रेकार्ड का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी द्वारा जॉब वर्क किया गया है। जिस में वह निर्माण कार्य नहीं है और न ही उसके द्वारा वह माल विक्रय किया गया है। ऐसी स्थिति में Pro Rata basis पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उचित रूप से आई.टी.सी. अमान्य किया गया है। उद्धरित न्यायिक निर्णय यह भिन्न तथ्यों पर होने से लागू नहीं होते हैं। यहां प्रश्न निर्माणकर्ता होना या नहीं होना नहीं बल्कि आई.टी.सी. देयता का है। चूंकि अपीलकर्ता द्वारा जॉब वर्क हेतु Consumables का उपयोग किया गया है अतः उस सीमा तक आई.टी.सी. देय नहीं है। अतः कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी का आदेश उचित होने से यथावत रखा जाता है। तथा अपीलार्थी की अपील निरस्त की जाती है।

7. फलतः अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की जाती है।
निर्णय सुनाया गया।


17-1-2014
(अमर सिंह)
सदस्य